GM Crops: How to plant the future

The Economic Times

G.S. Paper III: Indian agriculture; Major crops and cropping pattern.

- ** To increase farmers' income without inflationary pressure on the economy, we need to increase our productivity urgently.
- The Indian agri-biotech industry is suffering due to the vested interests of one influential seed industry player misusing the system. As the of proposal compulsory licensing guidelines faced stiff opposition from various corners and from key stakeholders, it appears that through the National Seed Association of India (NSAI), attempts are now being made to indirectly interfere in the intellectual property rights (IPR) regime and compulsory licensing of GM crops through the convoluted reading of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act (PPVFRA), 2001.

India faces a massive challenge to feed its growing population, particularly in the absence of sustainable agriculture solutions. According to the UN World Population Prospects: The 2015 Revision, India's population is expected to surpass China's by 2022. Acombination of factors like climate change, increasing industrialisation, urbanisation and new pests and diseases coupled with regulatory challenges have connived to bring about increasing pressure on our farms over the years, limiting their capability to enhance production, especially on small land holdings as prevalent in India. With regular droughts or floods affecting the country, productivity is taking a heavy toll and India's already bulging food import bill is likely to reach crippling proportions.

Technology has played a vital role in most sectors to improve quality of life, as well as the productivity of products and services. The same should apply to agriculture. While most agriculturally advanced countries are adopting rigorously tested and proven genetically modified (GM) technology in agriculture, India has been comparatively regressive. Bangladesh has wholeheartedly embraced GM technology to resolve declining productivity by putting in place an encouraging policy environment. It has not only commercialised India's Bt Brinjal technology three years ago, but it is also at an advanced stage of field trials in other crops including Golden Rice and Late Blight resistant potato.

The Philippines and Vietnam, too, are actively pursuing GM crop cultivation. All this is possible only with government support for science and technology and free market trade. However, in India, there is a huge resistance to this technology. The furore caused by various anti-science voices have continued to discourage innovation as well as commercialisation of this promising technology. Adding to this uncertainty are the recent regulatory developments in respect of crop biotech that have the potential to stifle the flow of modern technologies to farm. The cotton price control and compulsory licensing guidelines for GM crops proposed have already done enough damage to India's image as a technology-friendly nation. These proposals have not only discouraged R&D and innovation professionals and investors, but also the student community who want to pursue fulfilling careers in agri-biotechnology.

The PPVFRA cannot override the Patents Act. Any contrary argument will have a severe ramification not only on Indian agriculture but also on the government's policies to encourage technology transfer and innovation in the farm sector that still employs over 50% of country's workforce. The government must look at this Act on the basis of plant varieties and its protection for which it was framed, much before GM crops came into India. It shouldn't allow vested interests to misinterpret and misuse this Act. No country has progressed when innovations are curbed and the free market is stifled. In today's global environment, where public-private partnerships are encouraged for achieving development goals, it is disheartening that in India, we are pursuing a regressive policy at the cost of longterm interest of our small and marginal farmers. The government must listen to industry associations and experts who have been criticising the cotton price control and compulsory licensing notification. It must intervene to ensure its decisions are broad-based and in the long-term interest of farmers, consumers, industry and the economy.

The Indian agri-biotech industry is suffering due to the vested interests of one influential seed industry player misusing the system. As the proposal of compulsory licensing guidelines faced stiff opposition from various corners and from key stakeholders, it appears that through the National Seed Association of India (NSAI), attempts are now being made to indirectly interfere in the intellectual property rights (IPR) regime and compulsory licensing of GM crops through the convoluted reading of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act (PPVFRA), 2001.

First World Bioethics Day, October 19

PIB

There is a felt need to adopt 'global ethics' to indicate ethical science devoted to protecting the environment and our own future species. Rapid strides in medical technology with an artificial human being almost in sight, designer babies, organ and gene replacements, are all creating an explosion of ethical dilemmas in medicine. Where should technology stop? The world is becoming more 'anthropocentric', to the extent that entire species of other animals are disappearing. On the clinical level, conflict between medical practitioners and their patients is becoming more and more common today. At least partly, this is due to failure to recognize each other as individuals and human beings, each with their own rights.

<u>The UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, adopted on 19 October 2005 codifies these principles</u>. Among them, the first principle is that of Human Dignity and Human Rights: (Article 3):

- 1. Human dignity, human rights and fundamental freedoms are to be fully respected.
- 2. The interests and welfare of the individual should have priority over the sole interest of science or society.

Based on this principle, more than 114 Units across the world will mark the First World Bioethics Day with a uniform program on topics around human dignity and rights.

The UNECO Chair Haifa, headed by Prof. Amnon Carmi, gradually established a number of Units at medical Universities all across the world. Their aim was to form a network to 'coordinate and stimulate an International Network of Institutes for Medical Ethics Training (NIMED)'. The UNESCO Chair of Bioethics is tasked with developing a culturally sensitive yet responsive syllabus in ethics for medical schools all over the world. Dr. Russell D'Souza, an Indian psychiatrist settled in Australia is heads the Asia Pacific region for the UNESCO Bioethics Chair, Haifa. The Indian Medical Association, Medical Council of India, National Board of Examinations, and Vice-chancellors of several health Universities in India are all Units of UNESCO Chair. Units for medical students are also being formed. Among such units, the Central India Unit is based at PGIMER-Dr. RML Hospital in Delhi. The International Forum of Teachers in Bioethics has been established for membership to medical teachers who are already trained in bioethics.

All Units meet at least once a year to discuss progress and formulate future plans. At their Annual Meeting in 2015, a decision was taken to mark the signing of the UNESCO Universal Declaration by observing a World Bioethics Day, with programs focused on the First Principle of Bioethics-Human Dignity and Human Rights.

G.S.Paper III: Science and Technology

- ** Focus on Human Dignity and Human Rights: A Global Movement for Ethics in Medicine
- **The need of the day is to adopt 'global ethics' (a term coined by the American biochemist Van Rensellaer Potter) to indicate ethical science devoted to protecting the environment and our own future species. Named 'bioethics', these are ethical principles based on sound transcultural understanding.
- ** In 2001, the UNESCO Chair in Bioethics was established at the International Center of Health, Law and Ethics, University of Haifa.

बिम्सटेक मुक्त व्यापर समझौते पर बने आम सहमति बिज़नस स्टैण्डर्ड भारत

ने बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के मंच बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में देरी पर चिंता जताते हुए सदस्यों से इस पर आम सहमित कायम करने के लिए सिक्रयता से प्रयास करने की अपील की है। बिम्सटेक ने फरवरी 2004 में इस क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को बढ़ाने के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए करार की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, " इस बारे में बहुत बातें हो चुकी हैं लेकिन हम अब तक एफटीए पर हस्ताक्षर नहीं कर पाए हैं। हां यह चिंता की बात है और बिम्सटेक के सदस्यों को इस पर आम सहमित बनाने के लिए सिक्रय तौर पर कार्य करना चाहिए।" निर्मला ने यहां उद्योग

G.S.Paper II: India and neighbours relations

** बिम्सटेक सात देशों का एक समूह है जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल हैं।

मंडल सीआईआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच परस्पर सहयोग की संभावनाओं को समझने और क्षेत्रीय मूल्यवर्धन (विनिर्माण) शृखलाओं को मजबूत करने से इनकी अर्थव्यवस्थाओं को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह, `शर्म की बात है कि बिम्सटेक क्षेत्र में अब भी एक देश से दूसरे देश में जाना कष्टसाध्य है जबिक यह इलाका अच्छी तरह संपर्क सुवधाआंड से जुड़ा है, बंगाल की खाड़ी हमें जोड़ती है, स्थलीय मार्ग भी हमें जोड़ते है। 'उन्होंने क्षेत्र में समुदीय और बंदरगाह सुविधाओं को मजबूत करने पर भी बल दिया तिक सामान की आवाजाही तेज और कम खर्चीली हो सके। सीतारमण ने बिम्सटेक के बीच बांग्लादेश के रास्ते डिजिटल सम्पर्क बढ़ाने तथा समुदीय आप्टिकल फाइबर संपर्क मजबूत किए जाने पर जोर दिया। बिम्सटेक देशों की कुल आबादी 1.5 अरब है जो दुनिया की आबादी का 22 प्रतिशत है।

इन देशों का सकल घरेलू उत्पाद सालाना 2,700 अरब डालर के बराबर है। बैं"क में नेपाल के वाणिज्य मंत्री रोमी गउढचंद थकाली ने कहा कि उनका देश बिम्सटेक को काफी महत्व देता है और पारंभिक सहमति को जल्द से जल्द एक ठोस व्यवस्था का रूप देने को प्रतिबद्ध है।.

BRICS building

Times of India

Coming against the backdrop of shifting geopolitical configurations, the Brics summit in Goa was always going to be a stock-taking affair to gauge each member nation's position in the new reality. For India, hosting the summit on the heels of the Uri terror attack which forced it to undertake surgical strikes against terrorists based in Pakistan-occupied-Kashmir, the platform presented the perfect opportunity to put forth its new assertive approach towards terrorism. Prime Minister Narendra Modi defined terrorism as the most serious threat to the group's economic prosperity.

But the parleys over two days saw India's interactions with Russia and China – Brics members other than India that have considerable stakes in South Asia – go in different directions. On the Russian front, New Delhi and Moscow reiterated their old friendship and put to rest growing speculations of a drift in ties. The Russian side strongly condemned the Uri terror attack and backed India's actions to fight cross-border terrorism. Smoothening ruffled feathers caused by Russia's recent joint antiterror exercise with Pakistan, the two sides inked 16 agreements including defence deals worth \$10.5 billion that would see India acquire the S-400 Triumf air defence system, stealth frigates and jointly produce light-utility helicopters.

The Chinese wall proved tougher to get around. Modi's interactions with Chinese President Xi Jinping did not produce any signs that the latter had accepted India's position on sanctioning Pakistan-based Jaish-e-Muhammed chief Masood Azhar. Or that China would revise its close ties with Pakistan in light of terrorism. The Chinese though noted that they were against all forms of terror, agreed to hold the second round of dialogue on India's Nuclear Suppliers Group membership, and accepted that greater Chinese investments in India were needed to balance the yawning trade deficit.

Taken together, the Brics deliberations highlighted both challenges and opportunities. In an increasingly complex world where interests and perceptions thereof are constantly evolving,

expecting all Brics members to practise geopolitical untouchability towards Pakistan to suit Indian interests is illogical. At the same time there's great scope for economic synergies and also cooperation on realities like transnational terrorism, as exemplified by the establishment of the Brics joint working group on counterterrorism. Brics aims at a multipolar world with enlarged space for emerging economies. That dream got good polishing at the Goa summit.

ब्रिक्स का हासिल

जनसत्त

ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के गोवा सम्मेलन में भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुटता दिखाने पर जोर दिया। यह सम्मेलन इसिलए भी उल्लेखनीय रहा कि इसमें चीन के राष्ट्रपित शी जिनिपंग के सामने पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के मसले पर दो पड़ोसी देशों का रुख अलग-अलग नहीं होना चाहिए। सम्मेलन में हिस्सा लेने आए रूस के राष्ट्रपित ब्लादिमिर पुतिन ने पाक अधिकृत कश्मीर में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को उचित ठहराया। पिछले महीने कश्मीर के उड़ी में सैन्य शिविर पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत लगातार पाकिस्तान को अलग-थलग करने की कोशिश कर रहा है। मगर चीन का रुख पाकिस्तान की तरफ मुलायम बना हुआ है। ऐसे में ब्रिक्स के मंच से चीन के सामने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री मोदी का कहना कि आतंकवाद दुनिया में शांति और तरक्की के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है, साफ-साफ चीन को इस मामले में अपना रुख बदलने पर विचार के लिए उकसाना था। हालांकि चीनी राष्ट्रपित ने आतंकवाद को लेकर भारत के रुख पर सहमित जताई, मगर उन्होंने पाकिस्तान के प्रति अपना रवैया बदलने का कोई संकेत नहीं दिया। जाहिर है, पाकिस्तान के साथ चीन के अपने राजनीतिक, सामिरक और व्यापारिक स्वार्थ जुड़े हैं और वह उस पर फिलहाल अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। उधर रूस के साथ भारत के ऊर्जा, प्रतिरक्षा और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में विकास को लेकर हुए समझौते न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती का संकेत हैं, बल्कि इससे चीन को स्पष्ट संकेत मिला है कि भारत पर उसके दबाव की कोशिश बहुत कारगर नहीं रहने वाली है।

ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों- बांग्लादेश, भूटान, म्यामां, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड यानी विम्सटेक के नेताओं ने भी ब्रिक्स नेताओं से मुलाकात की। इसमें स्पष्ट संकेत दिया गया कि ये देश मिल कर व्यापार, वाणिज्य, शांति और आतंकवाद से लड़ने की दिशा में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। यह पाकिस्तान को अलग-थलग करने की दिशा में एक और बड़ा कदम साबित हो सकता है। सार्क सम्मेलन रद्द होने के बाद यह नया मोर्चा मजबूत होने से पाकिस्तान अपने पड़ोस में कमजोर होगा। पाकिस्तान को लेकर चीन के नरम रुख की वजहें साफ हैं। उसने पाकिस्तान में अपने परमाणु रिएक्टर लगा रखे हैं और वह दक्षिण एशिया में इसका बाजार बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान में अपनी उपस्थिति बना कर वह भारत सीमा विवाद को भी उलझाए रखना चाहता है। अमेरिका से भारत की नजदीकी भी उसे रास नहीं आ रही। फिर आतंकवाद को लेकर उसका दृष्टिकोण भारत और अमेरिका से भिन्न है, इसलिए भी वह पाकिस्तान को दोषी मानने से बचता है। ऐसे में रूस के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होने से भारत को अपनी ऊर्जा और प्रतिरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए चीन की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। मगर चीन के लिए भारत एक बड़ा बाजार है और वह इससे अपने व्यापारिक रिश्ते कभी खत्म नहीं करना चाहेगा, इसलिए उसने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत बनाने की बात कही है। फिलहाल भारत ने दुनिया भर में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने का अभियान चला रखा है, दुनिया के ज्यादातर देश उसके साथ हैं। ऐसे में चीन को बहुत देर तक पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के प्रति अपनी आंखें मुंदे रखना शायद संभव न हो।

ब्रिक्स: प्रतिक्रियाशील, समावेशी एवं सामूहिक समाधानों का निर्माण

भारत की अध्यक्षता में 8वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन गोवा में इस महीने के मध्य में संपन्न होने के लिए निर्धारित है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूहीकरण का एक अद्वितीय अंतरराष्ट्रीय तंत्र है जो वैश्विक प्रभाव पुनर्संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था और राजनीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं।

Prepare IAS

Current Affairs

सामूहिक रूप से **ब्रिक्स देशों की दुनिया की आबादी में** 43% **हिस्सेदारी है**, **कुल विश्वभूमि क्षेत्र में लगभग** 25% और विश्व व्यापार में लगभग 17% **हिस्सेदारी के साथ विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में इनकी** 30% **की भागीदारी है**। ये पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक, आर्थिक और राजनीतिक मंच पर अपनी क्षमताओं के अनुकूल एक सही स्थान की तलाश कर रहे हैं। इनकी बढ़ती प्रमुखता निश्चित रूप से वैश्विक मुद्दों को एक बेहतर तरीके से हल करने में मदद करेगी।

गोल्डमैन सैक्स द्वारा 2001 में वैश्विक अर्थशास्त्र पर प्रकाशित एकशोध पत्र 'बेहतर वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण-बीआरआईसी' में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ 'नील ने चार तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं - ब्राजील, रूस, भारत और चीन के लिए 'ब्रिक्स' शब्द की रचना एवं प्रयोग किया था।

2006 में, ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने नियमित रूप से एक अनौपचारिक कूटनीतिक समन्वय पहल शुरू की जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस (संयुक्त राष्ट्र महासभा) के हाशिये पर विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ शुरू हुई। इन सफल बातचीतों का निर्णय यह निकला कि चर्चा को राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर पर वार्षिक शिखर सम्मेलनों के द्वारा आगे बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले ब्रिक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2009 में येकातेरिनबर्ग (रूस) में हुआ था। ब्रिक समृह के सदस्यों के बीच संवाद का दायरा और गहराई वर्ष दर वर्ष बढ़ते गए जो 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने के साथ ही ब्रिक्स समृह बन गया। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में उभरते हुए देशों के समूह के एक संक्षिप्त नाम से बढ़कर ब्रिक्स एक आशाजनक राजनीतिक एवं कूटनीतिक इकाई बन गया जो वित्तीय बाजारों की अपनी मूल अवधारणा से कहीं अधिक है।

गत वर्षों में <u>ब्रिक्स चरणबद्ध और प्रगतिशील तरीके से विकसित हुआ है, जिसने बहुत सावधानी से अपने दो मुख्य स्तंभों को मजबूती प्रदान की है जो क्रमशः 1)- आर्थिक और राजनीतिक प्रशासन पर ध्यान देते हुए बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय तथा 2)- सदस्यों में आपसी सहयोग है।</u>

वैश्विक शासन के मंचों और ढांचों में सुधार के लिए ब्रिक्स पुरजोर कोशिश करता है, विशेष रूप से आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों के मंच जैसे - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, जी -20 आदि। साथ ही राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर भी ब्रिक्स विशेष जोर दे रहा है।

इंट्रा-ब्रिक्स सहयोग भी पिछले कुछ वर्षों में विकसित किये गए एक स्पष्ट और व्यापक एजेंडे के तहत मजबूती हासिल कर रहा है। अन्य क्षेत्रों के अलावा इसमें वित्त, कृषि, अर्थव्यवस्था और व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय अपराध से मुकाबला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कॉर्पोरेट और शैक्षिक संवाद और सुरक्षा, जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। यह समूह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने, और विशेष रूप से सतत विकास के वर्ष 2030 के एजेंडे को नज़र में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिक्स समृह के सदस्यों के लिए नए अवसर उत्पन्न करने के लिए तैयार है।

ब्रिक्स के साथ ही अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे की किमयों और टिकाऊ विकास की जरूरतों को संबोधित करने के लिए कई बार प्रमुख वित्तीय किठनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए, ब्रिक्स के पास अब खुद का अपना 'नया विकास बैंक' (एनडीबी) है जो ब्रिक्स और अन्य उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास की परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए उपयोगी साबित होगा तथा एनडीबी के कार्यों में सहायता करने के लिए समूह के पास 100 बिलियन डॉलर के शुरूआती पूँजी के साथ एक ब्रिक्स आकस्मिक रिज़र्व कोष (सीआरए) भी है जो देशों की अल्पकालिक वित्तीय संकटों से निपटने में मदद करेगा। बैंक की स्थापना का सुझाव 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फ़ोर्टालेज़ा (ब्राजील) में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सभी समझौतों पर ब्रिक्स सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और मुई, 2015 में भारत के श्री के. वी. कामथ नए विकास बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किये गए जिसका मुख्यालय शंघाई (चीन) में है। जुलाई 2015 में ऊफ़ा (रूस) में हए 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एनडीबी समझौता लागु हो गया।

हाल ही में बैंक ने 811 मिलियन डॉलर मूल्य के अपने पहले ऋण पैकेज को मंजूरी दी है। ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत में स्थित सभी चार परियोजनाएं अक्षय और हरित ऊर्जा के विकास के क्षेत्र में हैं। एनडीबी के प्रवक्ता के अनुसार, "रूस की परियोजनाओं सिहत कई अन्य परियोजनाएं भी कतार में हैं, जो इस वक़्त विचार अथवा मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने आगे कहा "एनडीबी विकासशील देशों की परिपक्वता तथा उनकी अपने पैरों पे खड़े होने की आकांक्षाओं का प्रतीक है।" भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था, "राजनीतिक चुनौतियों, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों और आर्थिक

भारत के प्रधानमंत्रा श्रा नरद्र मादा ने हाल हा में कहा था, "राजनातिक चुनातिया, सुरक्षा संबंधा चुनातिया आर आर्थक चुनौतियों से भरे इस विश्व में ब्रिक्स आशा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है"।

सितंबर 2016 में हांग्जो, चीन में जी -20 शिखर सम्मेलन के हाशिए पर ब्रिक्स नेताओं ने एक अनौपचारिक मुलाकात की तथा इस अवसर पर जारी एक मीडिया नोट के अनुसार, ब्रिक्स नेताओं ने खुलेपन, एकता, समानता, आपसी समझ, समग्रता, पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित कूटनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के महत्व को

रेखांकित किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित एक उचित और न्यायसंगत विश्व आधार व्यवस्था की स्थापना के महत्व को भी रेखांकित किया।

ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के जघन्य कृत्यों की जोरदार निंदा की जो कि वैश्विक शांति और सुरक्षा को बाधित करते हैं तथा सामाजिक और आर्थिक विश्वास को भी कमजोर करते हैं। उन्होंने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त वैश्विक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया जो अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार हो जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर भी सम्मिलित है।

BRICS Summit Goa 2016: The outcomes

(A Complete analysis)

All you need to know about BRICS

BRICS brings together five major emerging economies, comprising 43 percent of the world population and 30 percent of the world GDP and 17 percent share in the world trade.

India is hosting the 8th BRICS Summit where world leaders will hold consultations on issues of mutual interest. It is being held on October 15-16 in Goa. BRICS is an acronym for Brazil, Russia, India, China and South Africa.

BRICS brings together five major emerging economies, comprising 43 percent of the world population, having 30 percent of the world GDP

The acronym BRIC was first used in 2001 by Goldman Sachs in their Global Economics Paper, "The World Needs Better Economic BRICs" on the basis of econometric analyses projecting that the economies of Brazil, Russia, India and China would individually and collectively occupy far greater economic space and would be amongst the world's largest economies in the next 50 years or so.

Issue:

Starting essentially with economic issues of mutual interest, the agenda of BRICS meetings has considerably widened over the years to encompass topical global issues.

BRICS cooperation has two pillars – consultation on issues of mutual interest through meetings of leaders as well as of ministers of finance, trade, health, education, agriculture, communication, labour, etc. and practical cooperation in a number of areas through meetings of working groups/senior officials.

Members approach:

Taken together, the Brics deliberations highlighted both challenges and opportunities.

There is a great scope for economic synergies and also cooperation on realities like transnational terrorism, as exemplified by the establishment of the Brics joint working group on counterterrorism. Brics aims at a multipolar world with enlarged space for emerging economies.

Creating an emerging market network to make the architecture of global governance and economic interaction among nations more equal than it has been since the victors of World War II gave it its present shape.

Outcomes:-

In current times, India is one of the most important players in Brics

India has adopted a five-pronged approach for the Summit which is called Building, Responsive, Inclusive and Collective Solutions.which stands for Institution building (to improve and institutionalise Brics cooperation), Implementation (of the decisions taken in previous summits), Integrating (integration of current cooperation mechanisms), Innovation (new cooperation mechanisms) and Continuity (keeping up with the existing mechanisms).

During the Modi-Putin meeting, key issues of defence, security, civil nuclear cooperation, trade and investment are expected to dominate the talks.

While the Brics made all the politically right noises on almost all global issues ranging from terror to urbanisation and climate change.

A Brics credit rating agency still remains at the level of talk, however. While the declaration piously calls for all countries to stop supporting nations that support terror, respect international law and give primacy to the UN as the central agency for global coordination, no one seriously expects China to stop its support for Pakistan or to give up its nine-dash line claims in the South China Sea.

Sufferings of BRICS

Forthcoming summits will reflect India's status as a key player both regionally and internationally. But unless we move from an event-oriented to a process-driven diplomacy, this will only be a transient gain.

BRICS has begun to suffer the affliction characteristic of several other multi-country groupings, and that is the exponential expansion in its committees, working groups and forums resulting in an extraordinarily crowded calendar of meetings

BRICS has one practical outcome to its credit, and that is the New Development Bank, and an Indian, K.V. Kamath, is its president. But this institution is overshadowed by the much better funded Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) initiated and led by the Chinese.

The Contingent Reserve Arrangement (CRA), another important BRICS initiative, remains on paper. There is a proposal for the setting up of a BRICS Credit Rating Agency to challenge the monopoly of the West, and this might be of value if adopted.

On the trade side any hint of a BRICS free trade agreement comes up against the fears both India and Russia have of being swamped by Chinese imports. It will not have traction even though none of the five countries are part of any of the emerging mega trade blocs like the Trans-Pacific Partnership (TPP) and the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). At a time when both TPP and

Prepare IAS

Current Affairs

TTIP are stalled, even a hint of a mega trade bloc of the key emerging economies would be a major development. It could even bring the World Trade Organisation back in play!

The parallel Mekong-Ganga Cooperation (MGC), which is a platform for India's exclusive engagement with the countries of Indo-China (Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam) and Myanmar, could also be a major component of the Act East strategy. But neither BIMSTEC nor the MGC have lived up to their potential, and India's engagement with them has been mostly episodic and ad hoc, architecture.

Conclusion:

There is no doubt that the forthcoming summits will be major events and will reflect India's status as a key player in the region and as a globally significant player.

But that will only be a transient gain unless we begin to pay attention to the much less glamorous and more nuts-and-bolts effort to use events as key markers in a well-conceived and systematic process of expanding our strategic space, leveraging our strengths and remedying our vulnerabilities. It is time to move from an event-oriented to a process-driven approach.

Question for prelims:

Q- Consider the following Statements about BRICS.

1-BRICS brings together five major emerging economies, comprising 43 percent of the world population and 30 percent of the world GDP and 17 percent share in the world trade.

2-In the recent Goa summit of brics India has adopted a five-pronged approach for the Summit which is called Building, Responsive, Inclusive and Collective Solutions.

3- The New Development Bank, of brics ha a dynamic institute with, K.V. Kamath, is its president.

Which of the following statements is/are correct:

A-Only 1

b-Only 1 and 2

c-1, 2, 3

d- None of the above is correct

Practice question for mains:

For india to increase its dominance at world label indian have a chance to use the brics forum to speak on various issues.but to capitalize brics india have to focus on process-driven approach rather than event-oriented approach. Discuss.

Suggested points:

Discuss about brics and its structure

Recent brics summit in india and its outcomes.

Problems of brics and its member countries.

How it can be used as an organisation to check the dominance of western driven institutes. Favourable for india in brics. And approach of india to use brics in becoming global power problems/hurdles

Conclusion.

Don't Let the Cards Be Swiped

THE ECONOMIC TIMES

Early this week, the news that debit cards of about 3.2 million users of a few prominent banks in India have been compromised created a sense of panic across the country. Initial indications are that malware — a computer 'worm', or a software specifically designed to disrupt or damage a computer system — penetrated through a particular but prominent brand of ATM switch operated by a well-known private bank and then infected the ATM switch of the National Payments Corporation of India (NPCI). This malware remained at the NPCI switch for more than a couple of months and picked up data from cards from many banks that used the system. This probably went undetected until September when fraudulent debit cards were used in China and the US that showed them belonging

to customers who were actually in India. Customers from 19 leading banks such as State Bank of India, ICICI Bank, HDFC Bank and Axis Bank were reportedly affected. These banks have advised most of their customers to change their passwords and personal identity numbers (PINs) and have also even blocked debit cards in many cases. While the matter is still under investigation and the finance ministry has sought a report from the Reserve Bank of India (RBI) and the NPCI on the breach, many issues arise on the preparedness of the whole financial ecosystem to respond to cyber security and data breach challenges.

Today, with the expanse of online banking and e-commerce, its security is crucial. And the RBI is concerned about the situation. The central bank has moved a long way from its 2001 easy-to-go guidelines for cyber security in banks to the comprehensive cyber security framework in banks issued in June 2016. Broadly speaking, its approach so far has been to have a cyber security policy approved by the boards in banks, this being distinct from the bank's IT and information security policies of the bank. The cyber security policy also includes an arrangement for continuous surveillance, to orient IT architecture that is conducive towards security, to

G.S.Paper III: Challanges of internal security through communication networks

- ** The banking system is a critical information infrastructure in most countries.
- ** In February, \$81 million was stolen from the central bank of Bangladesh in a cyber from the Federal Reserve Bank of New York fraudulent with **SWIFT** (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) transactions and an attempt

transactions and an attempt was made to steal \$951 million. While this raised an alarm globally, nothing much really happened in terms of readiness.

comprehensively address network and database security, and to ensure protection of customer information.

Apart from that, the policy has a cyber crises management plan, incorporates the sharing of cyber security incidents with the RBI, maintains a supervisory reporting framework, and has baseline cyber security and resilience requirements. These look almost foolproof. Yet, implementing them seems to be far more difficult and a long way off. More than the supervision part, banking competitiveness and the market forces should have driven both banks and the payment ecosystem to invest heavily and constantly to manage and monitor security priorities.

Unfortunately, this has not been the case. In fact, it has been the opposite with banks trying to hide security breaches as much as they can, thereby refraining from reporting them to the Computer Emergency Response Team India (CertIn) or to the Indian Banks Centre for Analysis of Risks and Threats (IB-CART) set up by the Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT) under the RBI. The need for the IB-CART as a fully equipped financial sector security centre with capabilities around managed security services, incident reporting and mitigation has to be done on a priority basis. Also, most banks have very poor cyber security best practices awareness drives and campaigns for customers and users. Apart from this latest incident, there are numerous cases of phishing — the practice of sending emails pretending to be from reputable companies to induce individuals to reveal personal information such as passwords and credit card numbers online. Gullible customers end up bearing the brunt in the absence of proper information campaigns.

कृत्रिम दिमाग के फायदे हैं और जोखिम भी

(केंब्रिज यूनिवर्सिटी में दिया गया भाषण स्टीफन हॉकिंग प्रसिद्ध वैज्ञानिक)

यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस लिवरहल्म सेंटर फॉर द फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंस के उद्घाटन समारोह का हिस्सा हूं। हमने काफी वक्त इतिहास के अध्ययन में खर्च किया है, जो ज्यादातर मूर्खताओं का इतिहास है। लिहाजा यह एक सुखद बदलाव है कि लोग अब इतिहास की बजाय इंटेलिजेंस के भविष्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं।

इंटेलिजेंस यानी अक्लमंद होना मानव का मुख्य गुण है। हमारी सभ्यता ने जो कुछ भी उपलब्धियां हासिल की हैं, वे मानव-बुद्धि का नतीजा हैं। फिर चाहे आग के इस्तेमाल में महारत हासिल करना हो, अनाज उपजाना हो या ब्रह्मांड को समझना। मेरा मानना है कि नैसर्गिक बुद्धि से अर्जित मुकाम और कंप्यूटर जैसे कृत्रिम दिमाग के बूते हासिल उपलब्धियों में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। फिर भी कह सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से कंप्यूटर मानव बुद्धि का मुकाबला कर सकता है, और उससे आगे भी जा सकता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमता पर दुनिया भर में अध्ययन तेज हुए हैं। इसमें भारी निवेश भी हो रहा है। स्वचालित कारों का निर्माण हो या कंप्यूटर का गो (खेल) जीतना जैसी उपलब्धियां यह बताने को काफी है कि हम किधर जा रहे हैं? बुद्धिमता सृजन के लाभ काफी व्यापक हैं। जब हमारा दिमाग किसी आर्टिफिशियल इंटेेलिजेंस से संचालित होगा, तो हम किस उपलब्धि को पा सकते हैं, यह अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। संभव है कि इस नई क्रांति के बूते हम उस नुकसान की भरपाई कर सकें, जो औद्योगिकीकरण की वजह से इस संसार को हआ है।

इसके पास यह ताकत भी है कि हम गरीबी और बीमारी को खत्म करने का अपना लक्ष्य पाने में सफल होंगे। संक्षेप में कहें, तो आर्टिफिशियल इंजेलिजेंस का निर्माण हमारी सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी। हालांकि सच यह भी है कि अगर हमने इसके जोखिम से बचने का तरीका नहीं ढुंढ़ा, तो सभ्यता खत्म भी हो सकती है। तमाम लाभ के बावजूद आर्टिफिशियल

इंजेलिजेंस के अपने खतरे हैं। इसकी मदद से शक्तिशाली स्वचालित हथियार बन सकते हैं या फिर ऐसे उपकरण, जिनके सहारे चंद लोग एक बड़ी आबादी का शोषण कर सकें। यह अर्थव्यवस्था को भी बड़ी चोट पहुंचा सकती है।

यह भविष्य में अपनी सोच भी विकसित कर सकती है, जिसका हमारे साथ संघर्ष हो सकता है। कुल मिलाकर एक सशक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमता का उदय हमारे लिए फायदेमंद भी होगा और नुकसानदेह भी। फिलहाल हम नहीं जानते कि इसका स्वरूप आगे क्या होगा? इसीलिए मैंने और कुछ अन्य लोगों ने इस संदर्भ में और ज्यादा शोध किए जाने की बात कही थी। मुझे खुशी है कि मेरी यह बात सुनी गई है। निश्चय ही, इस सेंटर में होने वाले शोध हमारी सभ्यता और मानव जाति, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

भारत-रूस के बीच तीन बड़े रक्षा

आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं करने की हिमायत की दोनों देशों ने

बेनालिम (गोवा), 15 अवत्बर (भाषा)।

भारत और रूस ने शनिवार लगभग 43,000 करोड़ रुपए लागत के तीन बड़े रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए। यैसे दोनों देशों के बीच 17 सौदे हुए। तीन बड़े रक्षा सौदों में सर्वाधिक उन्नत वायु रक्षा प्रणाली की खरीद भी शामिल है। साथ हीं, दोनों पारंपरिक सहयोगी देशों ने आतंकवादियों और उनके समर्थकों से निपटने में 'तनिक भी बर्दाश्त नहीं 'करने की जोरदार हिमायत की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पृतिन के बीच 'सार्थक एवं दोस' व्यापक वार्ता होने के बाद द्विपक्षीय समझौतों पर वहां हस्ताक्षर किए गए। वार्ता में समचे द्विपक्षीय संबंधों को शामिल किया गया। दोनों देशों ने व्यापार एवं निवेश, हाइड्रोकार्बन, अंतरिक्ष और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में सबंधों को बढ़ाने के लिए तीन घोषणाएं भी की।

मोदी ने एक संयुक्त प्रेस कार्यक्रम में अपनी टिप्पणी शुरू करते हुए एक रूसी मुहावरे का इस्तेमाल किया कि 'एक प्राना दोस्त दो नये दोस्तों से बेहतर होता है'। इसके जरिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ बाकी पेज 8 पर

गोवा में आयोजित वार्षिक भारत-रूस सम्मेलन में दोनों देशों ने 17 समझौतों पर दस्तखत किए

तीन प्रमुख रक्षा समझौत

- भारत में केए 226टी हेलिकॉप्टर बनाने के लिए संयुक्त उपक्रम की स्थापना।
- भारत और रूस के शिपयार्ड के जरिए चार अतिरिक्त 1135.6 युद्धक पोत का निर्माण और खरीद।
- लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली एस 400 ट्रिम्फ की खरीद का समझौता।

शृष समझात

- रूसी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों की तकनीक का भारत में बनने वाले स्मार्ट शहरों में क्रियान्वयन।
- आंग्र प्रदेश में स्मार्ट सिटी की अवधारणा, एक एकीकृत ट्रांसपोर्ट लाजिस्टिक सिस्टम और अत्यधिक जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में बौद्धिक

निगरानी तंत्र की स्थापना।

- आंध्र प्रदेश में जहाज बनाने की संभातना तलाशने, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कियान्वयन, तकनीकी हस्तांतरण व विदेशी विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की संभावनाएं तलाशने के लिए अध्ययन।
- रूसी नेविगेशन प्रणाली 'ग्लोनास' और भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली के संयुक्त डाटा संग्रह केंद्र की स्थापना।
- भारत के विदेश मंत्रालय और रूस के विदेश मंत्रालय के बीच 2017-18 के लिए विचार-विमर्श का मसविदा।
- भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी पेद्रोलियम कंपनी एस्सार ऑयल का रूस की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी रोजनेपट और उसके भागीदारौ द्वारा अधिग्रहण।
- रोजनेफ्ट और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड में अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए सहमति।

स्रोतः भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट

एनआइआइएफ व आरडीआइएफ मिलकर इनवेस्टमेंट फंड बनाएंगे।

- नागपुर व हैदराबाद/सिकंदराबाद रेलखंड पर ट्रेनों की रफ्तार बढाना।
- गैस पाइप लाइन बिछाने और सहयोग के अन्य क्षेत्रों के लिए अध्ययन।
- द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग
- भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और रूस के संघीय वैज्ञानिक संगठन के बीच समझौता।
- साल 2017-18 के लिए तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की योजना।
- अंतरराष्ट्रीय सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता।

मोदी ने कहा 'एक पुराना दोस्त दो नए दोस्तों से बेहतर होता है'।

- Sun, 16 October 2016 जनस्ता epaper.jansatta.com/c/13976419



कुपोषण से अधूरी लड़ाई

हा

ल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2016 में 118 देशों की सूची में भारत को 97वें स्थान पर रखा गया है। हममें से जो लोग भारत

में भूख और पोषण से संबंधित मुद्दों को उपेक्षा के लिए चिंतित रहते हैं, उनके लिए ये ऑकड़े बड़ी खबर हैं, जिसने मीडिया का भी ध्यान खोंचा है।

कुपोषण एक ऐसी समस्या है, जो विभिन्न पींद्रयों में पाई जाती है। एक कुपोषित मां द्वारा एक कम वजनी, एनीमिया पींड़त, छोटे कद के बच्चे को जन्म देने की ज्वादा संभावना होती है। यह ऐसी समस्या नहीं है, जिससे आसानी से नियदा जा सकता है, जैसा कि पूख के लिए कहा जाता है। इसके अलावा अल्पपोषण या कुपोषण सिर्फ अपयांन भोजन आहे हो। इससे लड़ने के लिए सिर्फ पर्यान भोजन की हो नहीं, बल्कि उचित स्वास्थ्य दखत (जैसे, सुप्रधित प्रसच की सुविशा, प्रतिश्वण यनी टीकाकरण), स्वच्छ पेयजल, सार्वजनिक स्वच्छता और सफाई आदि की भी जरूरत है।

फिर भी राष्ट्रीय खाड सुरक्षा अधिनियम, 2013 में बार घटक ऐसे हैं, जो भूख और कुपोषण को समस्या से नियटने में धोड़ी मदद कर सकते हैं। पहला, इसमें जन बितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत दो तिहाई आबादी को रियायती दरों पर सस्ते अनाज का हकदार बनाया गया है। हालांकि यह सच है कि 2000 के दशक कब पीडीएस से रिसाव एक बड़ी समस्या थी, यह भी सही है कि भ्रष्टाचार से लड़ने में कई राज्जें ने प्रणीत की है। वर्ष 2011-12 (इसी वर्ष तक का प्रतिनिधियत आंकड़ा उपलब्ध है) के एक अनुमान के मुताबिक, छनीसगढ़ में रिसाव की दर पटकर



कुपोषण से लड़ने के लिए सिर्फ पर्याप्त भोजन ही नहीं, उचित स्वास्थ्य दखल (जैसे, सुरक्षित प्रसव सुविधा, टीकाकरण), स्वच्छ पेयजल, सार्वजनिक स्वच्छता आदि की भी जरुरत है।

रीतिका खेड़ा, आईआईटी दिल्ली से संबद

10 फीसदी पर आ गई, जो 2004-05 में 50 फीसदी थी, ओडिशा में 75 फीसदी से घटकर 20 फीसदी से घटकर 20 फीसदी पर आ गई और बिहार में रिसाब की दर 90 फीसदी पर आ गई। तबसे लगता है कि ज्यादा राज्यों में पीडीएस में सुधार के लिए काम किया गया है। जून, 2016 में किए एक सर्वे में हमने पाया कि मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी रिसाब दर

घटकर दस फीसदी से नीचे आ गई है।

दूसरा, खाद्य सुरक्षा कानून ने बच्चों के लिए दो कार्यक्रमों को शामिल किया है-छह साल तक के बच्चों के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) और स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मंध्याहन भोजन योजना (एमडीएम)। चिकित्सा एवं पोषण संबंधी शोधों से पता चलता है कि गर्भ में भ्रण से लेकर जन्म के एक हजार

दिनों तक का समय बच्चों के पोषण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर शुरुआती कुछ वर्षों में बच्चे को कुपोषण से नहीं बचाया गया, तो बाद के प्रयासों के सफल होने की संभावना बहत कम होती है। इससे आईसीडीएस और एमडीएम योजनाओं की महत्ता का पता चलता है। यह तत्काल सनिश्चित करने की जरूरत है कि इन कार्यक्रमों के तहत बच्चों को पीष्टिक भोजन दिया जाता है। बजट कटौती की कोशिश, बार-बार रिसाव संबंधी खबरें, तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए घर पर राशन के बदले पहले से ही पैक खाना या नकदी देने संबंधी मंत्रालय की घोषणा से यह संकेत मिलता है कि इन कार्यक्रमों को लेकर राजनीतिक प्रतिबद्धता, जो शरू से ही कम रही है. पिछले दो-तीन वर्षों में घटी है। बच्चों को अंडा या काला चना देने की राज्यों की सफल पहल (ओडिशा एवं तमिलनाडु में) की उपेक्षा की जा रही है। इन योजनाओं के मेन्यू में अंडा देने के प्रस्ताव को कुछ राज्यों ने खत्म कर दिया है। अंडा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें विटामिन सी को छोडकर बाकी सभी पोषक तत्व होते हैं।

का ठाड़कर बाको सभा भाषक तर्य होत है। तीसरी और सबस्से महत्वपूर्ण बात, खाद्य मुरखा कानून में सार्वभीमिक मानूल हक के सिद्धांतों को मान्यता दी गई है। इसके तहत आदर्श रूप में महित्वाओं को छह महीने के बेतन के बराबर मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन इस कानून में प्रति बच्चा छह हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। यह काफी कम है, लेकिन अब तक इसे भी लागू नहीं किया गया है। पायल्ट योजना के तहत जिन 50 से ज्याद्य जिलों में इस प्रवच्छान को खाद्य सुरखा कानून के पारित होने से पहले शुरू-किया गया था, यह अब भी जारी है। ओडिशा और तमिलनाडू ने अपने बजट से यह पहल शुरू-की। मीडिया ने मात्रल लाभ संशोधन विधेयक परित होने पर काफी शोर मचाया, जिसमें महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश बढ़ाया गया, पर शायद ही किसी ने इस तथ्य के बारे में टिप्पणी की कि इसका लाभ सिर्फ उन्हों दस फीसदी महिलाओं को मिलेगा, जो नियोजित क्षेत्र में काम करती हैं। महिलाओं की एक बड़ी आबादी को किसी तरह का संस्थण ग्राप्त नहीं हैं। फील्ड सर्वे के दौरा हमें ऐसी कई महिलाएं मिली, अस्य के कुछ हो दिने बाद कठिन महिला की काम पर जाना पड़ा। ऐसी महिलाओं को नक्तर मुआवाता देने से उनकी जरूरतें तो पूरी होंगी ही, उनके बच्चों को भी फायदा होगा।

यह याद करने की जरूरत नहीं है कि भाजपा ने एक कमओर खाद्य सुखा कानून लाने के लिए यूपीए-दो की आलोचना की थी। भाजपा के दिगाजों मुरली मनोहर जोशी और सुपमा स्वराज ने इसे मजबूत करने के लिए संसद में कुछ संशोधन सुझाए थे, तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खुला पत्र लिखकर एनएफएसए को अपर्याप्त बताया था।

अब बही भाजपा सत्ता में हैं, तो इस कानून को और भी कमजोर करने जा रही है। संदिग्ध आधार पर पीटिक खाद्य बस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, मातृत्व हक प्रावधान को लागू करने के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, इन कार्यक्रमों के केंद्रीय बजट में कटोती को कोशिश हो रही है। पीडीएस, जिसने भ्रष्टाचार से लड़ने की शुरुआत की थी, उसे अब आधार कार्ड के साथ जीड़ा जा रहा है, जिससे कुछ लोगों को इससे वीचित किया जा रहा है, व्यवधान पैदा होता है और एक बार फिर भ्रष्टाचार के लिए दरावाजा खुल रहा है। ये कार्यक्रम एक बड़ी आबादों के लिए जीवनरेखा हैं और सरकार अपने जीखाम पर उन्हें नजर अंदाज कर रही है।

जाडापा बनाम भुख सुचकाक

धर्मेंद्रपाल सिंह

ता विश्व भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआइ) के अनुसार भारत की रियति अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन से बदतर है। यह सुचकांक हर साल अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आइएफपीआरआइ) जारी करता है, जिससे दुनिया के विभिन्न देशों में भूख और कृपोषण की स्थिति का अंदाजा लगता है। आज केवल इक्कीस देशों में हालात हमसे बरे हैं। विकासशील देशों की बात जाने दें, हमारे देश के हालात तो अफ्रीका के घोर गरीब राष्ट्र नाइजर, चाड, सिएरा लिओन से भी गए-गजरे हैं। पूरी दनिया में भूख के मोचें पर पिछले पंद्रह बरसों के दौरान उनतीस फीसद सधार आया है, लेकिन हंगर इंडेक्स में भारत और नीचे खिसक गया है। सन 2008 में वह तिरासीवें नंबर पर था, वर्ष 2016 आते-आते 97वें स्थान पर आ गया। तब जीएचआइ में कुल 96 देश थे, जबिक अब उनकी संख्या बढ़ कर 118 हो गई है।

भृख मापने के लिए इस बार चार मापदंड अपनाए गए हैं। पहला है, देश की कुल जनसंख्या में कुपोषित आबादी की तादाद। दूसरा है, पांच साल तक के वेस्टेड चाइल्ड' यानी ऐसे बच्चे जिनकी लंबाई के अनुपात में उनका वजन कम है। इससे कुपोषण का पता चलता है। तीसरा है, पांच साल तक के 'स्टनटेड चाइल्ड' यानी ऐसे बच्चे जिनकी आयु की तुलना में कद कम है। चौथा और अंतिम मापदंड है, शिशु मृत्यु दर। पहली बार भूख मापने के लिए 'वेस्टेड चाइल्ड' और 'स्टनटेड चाइल्ड' का पैमाना अपनाया गया है। अनुमान है कि आजादी के सत्तर साल बाद भी भारत की पंद्रह प्रतिशत आबादी कपोषण का शिकार है। इसका अर्थ यह है कि देश के करीय बीस करोड़ लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है, और जो मिलता है उसमें पोषक तत्त्वों का अभाव होता है। संतुलित भोजन के अभाव में आज पंद्रह फीसद बच्चे 'वेस्टेंड चाइल्ड' और उनतालीस प्रतिशत 'स्टनटेड चाइल्ड'की श्रेणी में आते हैं। इसी आयु वर्ग में उनकी मृत्यु दर 4.8 फीसद है।

मजे की बात है कि बच्चों के संतुलित पोषण के लिए दुनिया के दो सबसे बड़े कार्यक्रम भारत में चल रहे हैं। पहला है, छह साल तक के बच्चों के लिए समेकित वाल विकास योजना (आइसीडीएस), तथा दसरा है, चौदह वर्ष तक के स्कली बच्चों के लिए मिड-डे मील योजना। इसके बावजूद यदि भृख सुचकांक में भारत की स्थित नहीं सुधरी तो निश्चय ही उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में गडबड़ी है। वैसे हंगर इंडेक्स में देश की दुर्दशा के मुख्य कारण गरीबी, बेरोजगारी, पेवजल की किल्लत, स्वास्थ्य सविधाओं की कमी तथा साफ-सफाई का अभाव है।

आर्थिक विकास के तमाम दावों के बावजद आज भी देश की बार्डस प्रतिशत आबादी कंगाल (गरीबी

रेखा से नीचे) है। एक वक्त था जब यह समझा जाता था कि तेज आर्थिक विकास के भरोसे गरीबी और भुखमरी को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन फिलवक्त जीडीपी को किसी देश की खुशहाली का पैमाना नहीं माना जाता। भारत को बाजार आधारित खुली अर्थव्यवस्था अपनाए चौथाई सदी बीत चुकी है। इस दौरान देश का जीडीपी अच्छा-खासा रहा है। आज भारत को दुनिया का सातवां सबसे अमीर देश गिना जाता है। हमारी प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक आय बढ़ कर 88,533 रुपए हो चुकी है, लेकिन अमीर और गरीब आदमी की आमदनी का अंतर भी पहले से कहीं अधिक है।

राष्ट्रीय नमना सर्वेक्षण (एनएसएस) की रिपोर्ट इस

प्रतिशत लोगों के पास महज छब्बीस प्रतिशत धन-दौलत है। तेज आर्थिक विकास के कारण पिछले पंद्रह वर्षों में देश की संपत्ति में 15.33 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, पर इस वृद्धि का 61 प्रतिशत (नौ लाख करोड़ रुपए) हिस्सा केवल एक फीसद अमीर तबके ने कब्जा लिया। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि पिछले डेढ़ दशक में देश में जितनी दौलत बढ़ी उसका 81 प्रतिशत (12.41 लाख करोड़ रुपए) हिस्सा संपन्न दस फीसद वर्ग की झोली में चला गया, जबकि नब्बे प्रतिशत आम जनता को केवल 19 प्रतिशत (2.91 लाख करोड रुपए) संपत्ति मिली।

रोजगार के मोर्चे पर भी हालात बद से बदतर होते

आर्थिक विकास के तमाम दावों के बावज़द आज भी देश की बाईस प्रतिशत आबादी कंगाल (गरीबी रेखा से नीचे) है। एक वक्त था जब यह समझा जाता था कि तेज आर्थिक विकास के भरोसे गरीबी और भुखमरी को समाप्त किया जा सकता है लेकिन फिलवक्त जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद को किसी देश की खुशहाली का पैमाना नहीं माना जाता।

तथ्य की तसदीक करती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई और चौडी होती जा रही है। आम आदमी ने पिछले दो दशक के उदारीकरण राज की भारी कीमत चकाई है। सर्वे में शहरों के सबसे संपन्न दस फीसद लोगों की औसत संपत्ति 14.6 करोड़ रुपए आंकी गई, जबिक सबसे गरीब दस प्रतिशत की महज 291 रुपए। यानी शहरी अमीरों के पास गरीबों के मुकाबले पांच लाख गुना ज्यादा धन-दौलत है। गांवों में कबेर और कंगाल आबादी की संपत्ति का अंतर थोड़ा कम है, फिर भी यह एक और तेईस हजार के आसमानी अंतर पर है।

गांवों में सबसे अमीर दस प्रतिशत लोगों की औसत संपत्ति 5.7 करोड रुपए तथा सबसे गरीब दस फीसद की 2507 रुपए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आज गांवों की एक तिहाई तथा शहरों की एक चौथाई आबादी कर्ज के बोझ तले दबी है। जहां सन 2002 में गांवों के सत्ताईस फीसद लोगों ने ऋण ले रखा था. वहीं 2012 में इकतीस प्रतिशत लोगों पर कर्ज चढ़ा था। इन दस वर्षों में ऋग की रकम भी बढ़ कर लगभग दो गनी हो गई।

केडिट सइस ग्लोबल वेल्ब रिपोर्ट के अनसार आज हिंदस्तान के दस प्रतिशत अमीरों के पास देश की जा रहे हैं। लेबर ब्युरो सर्वेक्षण की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज भारत रोजगार-रहित विकास के कचक्र में फंस गया है। वर्ष 2015-16 में बेरोजगारी दर पांच प्रतिशत आंकी गई, जो पांच वर्ष में सर्वाधिक थी। इससे पूर्व वर्ष 2013-14 में यह 4.9 फीसद, 2012-13 में 4.7 तथा 2011-12 में 3.8 फीसद थी। हां, 2009-10 में यह आंकड़ा जरूर 9.3 प्रतिशत था। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वित्तवर्ष में शहरों में बेरोजगारी की स्थिति और बिगड़ी है। जहां 2013-14 में यह 4.7 फीसद थी, 2015-16 में बढ़ कर 5.1 फीसद हो गई। सबसे अधिक मार महिलाओं पर पड़ रही है, उनकी नौकरियां लगातार कम हो रही हैं। सन 2013-14 में बेरोजगार औरतों की संख्या 7.7 प्रतिशत थी, जो दो साल बाद बढ़ कर 8.7 प्रतिशत हो गई।

तेज औद्योगीकरण और आर्थिक सुधार के दावों के बावजूद सच वह है कि पिछले पच्चीस सालों के दौरान अच्छी और सुरक्षित नौकरियां लगातार घटी हैं। 1980 की औद्योगिक जनगणना में प्रत्येक गैर-कृषि इकाई में 3.01 कर्मचारी थे. जो 2013 आते-आते घट कर 2.39 रह गए। उदारीकरण से पूर्व 1991 में 37.11 फीसद उद्योग ऐसे थे जहां दस या अधिक कर्मचारी थे। 2013 में यह

चौहत्तर प्रतिशत संपत्ति है। मतलब यह कि बच्चे नब्बे संख्या दस प्रतिशत गिर कर 21.15 रह गई। इसका अर्थ यह हुआ कि देश के अधिकांश उद्योग अब गैर-संगठित क्षेत्र में हैं। यह तथ्य किसी भी अच्छी अर्थव्यवस्था के सदगुण के तौर पर नहीं गिना जाएगा। इस सिलसिले में श्रम ब्युरो की रिपोर्ट का जिक्र जरूरी है। रिपोर्ट से सर्वाधिक काम देने वाले आठ सेक्टर- कपडा, हैंडलम-पॉवरलम, चमड़ा, ऑटो, रल-आभूषण, परिवहन, आइटी-बीपीओ, और धातु के मौजूदा हालात का जिक्र है, जहां नई नौकरी न बराबर है।

> रिपोर्ट के अनसार इन आठ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सेक्टरों में जलाई-सितंबर, 2015 की तिमाही में केवल 1.34 लाख नई नौकरी आई। मतलब यह कि प्रतिमाह पैतालीस हजार से भी कम लोगों को काम मिला, जबकि आंकड़े गवाह हैं कि हिंदुस्तान के रोजगार बाजार में हर महीने दस लाख नए नौजवान उतर आते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हर माह लाखों बेरोजगारों की नई फीज खड़ी हो रही है, जो एक साल में एक करोड़ की दिल दहला देने वाली संख्या पार कर जाती है। ऐसे में अच्छे और टिकाऊ रोजगार की बात करना मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखने जैसा है। कुल मिलाकर रोजगार मोर्चे पर हालत बहुत बुरी है। स्थिति एक अनार, सौ बीमार जैसी है। तभी सरकारी विभाग में चपरासी के चंद पदों के लिए लाखों आवेदन आते हैं, और अर्जी देने वालों में हजारों इंजीनियरिंग, एमबीए, एमए, पीएचडी डिग्रीधारी होते हैं।

> पिछले तीन साल से खाद्य सुरक्षा कानून लागू है, फिर भी हंगर इंडेक्स में हम फिसड्डी हैं। मनमोहन सिंह सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की थी, जिसका उद्देश्य भी भूख और गरीबी से लंडना है। लगता है जन-कल्याण से जुड़े ये दोनों कार्यक्रम अपेक्षित परिणाम देने में विफल रहे हैं।

> एक बात और है जो चौंकाती है। अर्थव्यवस्था के आंकड़े देख कर अनुमान लगाना कठिन है कि देश किस दिशा में जा रहा है। आज सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी) सात फीसद से ऊपर है, जिससे लगता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है। दूसरी ओर औद्योगिक उत्पादन सुचकांक (आइआइपी) है जो लगातार दो माह से कमजोर चल रहा है। इसी प्रकार थोक मृल्य सुचकांक (डब्ल्यपीआइ) और उपभोक्ता मृल्य संचकांक (सीपीआंड) का अंतर है। पहले को देख कर लगता है कि महंगाई कम हो रही है, जबकि दूसरा संकेत देता है कि वढ़ रही है। सितंबर 2015 में तो इन दोनों में करीब नौ फीसद का अंतर था। तब थोक सचकांक -4.4 था, जबिक उपभोक्ता सचकांक +4.4 था। इतना ज्यादा अंतर देख आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि महंगाई बढ़ रही है या घट रही है। हां, जब कोई अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कहती है कि देश में करोड़ों लोग भुखे हैं तब सरकार के पास चप्पी साधने के अलावा कोई चारा नहीं होता।

उन्स्ता Mon, 17 October 2016 epaper, jansatta.com/c/14006218



	Odircii	Allalis
Caco of	Rank	Rank
Ease of	1 Singapore	38 Mexico
Doing Business How select countries (out of a total of 189) have been ranked on parameters of ease of doing business by World Bank's Doing Business Report 2016	2 New Zealand	49 Thailand
	3 Denmark	51 Russia
	4 South Korea	53 Israel
	5 Hong Kong	55 Turkey
	6 United Kingdo	m 71 Bhutan
	7 United States	73 South Africa
	8 Sweden	82 Saudi Arabia
	9 Norway	84 China
	10 Finland	99 Nepal
	11 Taiwan	103 Philippines
	13 Australia	107 Sri Lanka
	14 Canada	116 Brazil
	15 Germany	118 Iran
	18 Malaysia	130 India
	26 Switzerland	131 Egypt
	27 France	138 Pakistan
	28 Netherlands	167 Myanmar
	31 UAE	169 Nigeria
	33 Spain	174 Bangladesh
KBK Infographics	34 Japan	189 Eritrea

Personal laws and the Constitution The Hindu

The Centre's categorical stand that personal laws should be in conformity with the Constitution will be of immense assistance to the Supreme Court in determining the validity of practices such as triple talaq and polygamy. By arguing that such practices impact adversely on the right of women to a life of dignity, the Centre has raised the question whether constitutional protection given to religious practices should extend even to those that are not in compliance with fundamental rights. The distinction between practices essential or integral to a particular religion, which are protected under Article 25, a provision that seeks to preserve the freedom to practise and propagate any religion, and those that go against the concepts of equality and dignity, which are fundamental rights, is something that the court will have to carefully evaluate while adjudicating the validity of the Muslim practices under challenge. From the point of view of the fundamental rights of those affected, mostly women, there is a strong case for these practices to be invalidated. The idea that personal laws of religions should be beyond the scope of judicial review, and that they are not subject to the Constitution, is inherently abhorrent. The affidavit in which the All India Muslim Personal Law Board sought to defend triple talaq and polygamy is but an execrable summary of the patriarchal notions entrenched in conservative sections of society.

This is not the first time that aspects of Muslim personal law have come up for judicial adjudication. On triple talaq, courts have adopted the view that Islam does not sanction divorce without reason or any attempt at reconciliation, and that talaq would not be valid unless some conditions are fulfilled. There are judgments that say the presence of witnesses during the pronouncement of talaq, sound reasons for the husband to seek a divorce and some proof that an attempt was made for conciliation are conditions precedent for upholding a divorce. The present petition before the Supreme Court seeks a categorical ruling that talaq-e-bidat — an irrevocable form of triple talaq that is permitted but considered undesirable in Islam — is unconstitutional. There are many who contend that instant divorce is not allowed, and that the triple talaq has to be spread over a specified time period, during which there are two opportunities to revoke it. Only the articulation of the third makes it irrevocable. It should be possible for the court to test these practices for compliance with the Constitution.

अधिकार बनाम कर्तव्य (अनिवार्य मतदान के सन्दर्भ में)

जनसत्ता

चुनाव आयोग ने एक बार फिर अनिवार्य मतदान के विचार को खारिज कर दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी ने बुधवार को कहा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव इतने बड़े देश के लिए व्यावहारिक नहीं होगा। साथ ही आयोग ने विधानसभा और

लोकसभा चुनाव एक साथ कराने से भी इनकार कर दिया। कहा कि इसमें नौ हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। पर सबसे बड़ी दिक्कत कानूनी मोर्चे पर है। लोकसभा और सारी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए सर्वसम्मित से संविधान संशोधन करना होगा। हालांकि उन्होंने यह कह कर बहस की गुंजाइश बनाए रखी है कि इस सिलसिले में और विचार आने चाहिए। अनिवार्य मतदान की पहल भाजपा की ही गुजरात सरकार ने की थी। पर याद रहे कि फरवरी में लोकसभा में जब अनिवार्य मतदान पर एक गैरसरकारी विधेयक पेश हुआ, तो उसका जवाब देते हुए खुद तब के कानूनमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा था कि अनिवार्य मतदान को लागू करना और मतदान न करने वालों को दंडित करना संभव नहीं होगा। इससे काफी पहले, 2009 में सर्वोच्च अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अनिवार्य मतदान की मांग खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि ऐसा करना 'अमानवीय तरीका' होगा।

दरअसल, हमारे संविधान के मुताबिक मतदान एक मौलिक नागरिक अधिकार है, न कि कर्तव्या संविधान के इस बुनियादी प्रावधान को कोई राज्य सरकार कैसे बदल सकती है? केंद्र सरकार भी नहीं बदल सकती। अनिवार्य मतदान का प्रावधान शायद संसदीय सर्वसम्मति से किया जा सके,

- **G**.S.Paper II:Salient features of representation of people's act.
- ** लोकसभा और सारी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए सर्वसम्मति से संविधान संशोधन करना होगा।
- ** विधि आयोग ने मार्च में चुनाव सुधारों पर अपनी रिपोर्ट दी, तो उसमें अनिवार्य मतदान की सिफारिश नहीं थी, बल्कि आयोग ने कई वजहों से इसे अत्यंत अनुपयुक्त बताया।

पर वैसी आम सहमित क्या बन पाएगी? और वैसा करना क्या वांछनीय होगा? असल में अनिवार्य मतदान को लेकर हाल के दिनों में बहस इसिलए भी कुछ ज्यादा तेज हुई कि प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसी दौरान राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में अनिवार्य मतदान का विधेयक विधानसभा में पारित हुआ था; इसमें मतदान न करने वालों पर सौ रुपए का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान था। लेकिन उच्च न्यायालय ने इस विधेयक पर रोक लगा दी। एक ऐसा विधेयक, जो न तो संविधान-प्रदत्त नागरिक अधिकारों से मेल खाता हो न जन-प्रतिनिधित्व कानून से, वह न्यायिक समीक्षा में कैसे ठहर सकता था? विधि विशेषज्ञ, मानवाधिकार कार्यकर्ता और चुनाव आयोग के कुछ पूर्व और वर्तमान सदस्य भी इस मसले पर बंटे हुए हैं। कुछ विधि विशेषज्ञों का कहना है कि मतदान को अनिवार्य बनाने के बजाय इसे नागरिकों की मूल जरूरत के तौर पर परिभाषित किया जाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर मानते हैं कि मतदान को अनिवार्य बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अनिवार्य मतदान के पक्ष में प्रमुख दलील यह दी जाती है कि इससे मतदान शत-प्रतिशत होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी बढ़ेगी और इससे हमारे

लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। लेकिन मतदान का प्रतिशत बढ़ने का असल महत्त्व तभी है जब मतदान स्वैच्छिक हो। जब लोकसभा और विधानसभा में यानी सदन में मतदान में शामिल न होने का विकल्प खुला रहता है, तो करोड़ों लोगों पर अनिवार्यता का बंधन क्यों, जो अपने क्रियान्वयन में उत्पीड़नकारी साबित हो सकता है, अव्यावहारिक तो है ही।

Why the 2016 economics Nobel for contract theory really matters

(This article is basically a informative one can be useful for Paper III, But still we focus on the core issue about the contract theory for which the Nobel awarded this year. We can find out that apart from many things this theory can be implemented in public policy formulation in India. Specially in the designing of the telecom auctions or the public distribution system. So let's find out how.)

Introduction:

<u>Professor Oliver Hart, and Andrew E. Furer Professor of Economics at Harvard, has been jointly awarded the Nobel Prize in Economic Sciences.</u>

Professor Hart shares the award with Bengt Holmström for their contributions to contract theory - work which "lays an intellectual foundation for designing policies and institutions in many areas, from bankruptcy legislation to political constitutions" the prize awarding body said.

It is a comprehensive framework for analysing many diverse issues in contractual design, like performance-based pay for top executives, deductibles and copays in insurance, and the privatisation of public-sector activities."

What is the Nobel Prize in Economics?

The Nobel Prize in Economics (or more volubly the Swedish National Bank's Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel), was first awarded in 1968 based on a donation from Sweden's central bank, on its 300th anniversary. It is thus the youngest addition to the Nobel prize family and each year recognizes an outstanding contribution to the economics field.

This is the 48th year in which the prize has been given and the two winners will share a prize of 8m Swedish krona (\$920,000).

What is contract theory?

Contract theory aims to further our understanding about how actors in the economy build contractual arrangements between themselves. In particular, given that contracts are often developed under incomplete information, or asymmetric information (when one party has more information than the other in the transaction), it explores ways to overcome suboptimal outcomes brought about by fears of "moral hazard" or free riding. How can optimal contracts for all parties be built under such constraints?

Optimal contracts can be developed by modelling behaviours of decision makers under different assumptions, and then applying specific rules to encourage optimal decisions (where both parties in a transaction are better off). The idea is to find ways to get actors to take appropriate actions, for example in the cases of selling used cars, taking out insurance or devising employment contracts.

What is so special about this contribution?

According to the Nobel Committee, the initial contributions of the two winners "launched contract theory as a fertile field of basic research... we now have the tools to analyse not only contracts' financial terms, but also the contractual allocation of control rights, property rights, and decision

Prepare IAS

Current Affairs

rights between parties. The contributions by the laureates have helped us understand many of the contracts we observe in real life."

In other words they have contributed a very valuable tool for the functioning of everyday transactions. In an economic climate characterized by so much uncertainty and distrust, this is an important contribution, and one that will remain useful for years to come.

Types of contract:

They could be formal or informal, depending on whether they are enforced by law or social norms. They could be complete or incomplete, which is based on whether they take into account all possibilities that lay in the future.

How this theory help us: (Explanation with Example)

Contract theory helps us understand these problems. And helps us solve them through better contract design. Take a simple informal contract. A harried mother has to leave the house for a couple of hours. She is worried her two children will bring the house down by fighting over a large piece of cake in the refrigerator.

The mother leaves a simple instruction—the elder child will cut the cake while the younger one will choose which piece to eat. Now, the elder child cannot cheat. The mother has aligned their interests—or achieved incentive compatibility—through an informal contract.

Practical Utilization of of theory in indian terms:

"The contributions by the laureates have helped us understand many of the contracts we observe in real life. They have also given us new ways of thinking about how contracts should be designed, both in private markets and in the realm of public policy." The use of contract theory in public policy is something that the Indian government needs to learn, be it the design of telecom auctions or the public distribution system.

Conclusion:

Through their initial contributions, Hart and Holmström launched contract theory as a fertile field of basic research. Over the last few decades, they have also explored many of its applications. Their analysis of optimal contractual arrangements lays an intellectual foundation for designing policies and institutions in many areas, from bankruptcy legislation to political constitutions.

The fact that the 2016 Nobel Prize in economics has gone to two giants of contract theory tells us something else as well. Most of the public attention is lavished on macroeconomics and the related dark art of forecasting. This is where the crisis of economics is the deepest.

Practice question For prelims:

Question:

- Q.-Consider the following statements:
- 1-Nobel prize in economics sciences for 2016 is awarded to Oliver Hart and Bengt Holmstrom jointly.
- 2- Both were awarded for their work on contract theory which "lays an intellectual foundation for designing policies and institutions in many areas, from bankruptcy legislation to political constitutions"

Which of the following statement is correct:

Only 1

Only 1 and 2

Only 2

All of the above are correct.

Question For Mains:

This years prize in economic sciences is awarded for the work on contract theory. Which lays an intellectual foundation for designing policies and institutions in many areas. Place your views that how far this theory is useful for Indian policy formulation domain. (200 words)

Suggested hint for framing your answer:

Introduction about this year's nobel prize.

Glimpse of contract theory

How it is helpful in designing policies for institutions.

With suitable example explain how it can affect indian policy formulation.

conclude

Link:http://www.livemint.com/Opinion/zp1CpB5xgjl8IPZJiqgexH/Why-the-2016-economics-Nobel-for-contract-theory-really-matt.html

जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में खाद्य और पोषण

PIR

2050 तक विश्व की आबादी लगभग 9.5 अरब हो जाएगी, जिसका स्पष्ट मतलब है कि हमें दो अरब अतिरिक्त लोगों के लिए 70 प्रतिशत ज्यादा खाना पैदा करना होगा। इसलिए खाद्य और कृषि प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाना होगा और ज्यादा लचीला, उपजाऊ व टिकाऊ बनाने की जरूरत होगी। इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल करना होगा और खेती के बाद होने वाले नुकसान में कमी के साथ ही फसल की कटाई, भंडारण, पैकेजिंग और ढुलाई व विपणन की प्रक्रियाओं के साथ ही जरूरी बुनियादी ढांचा सुविधाओं में सुधार करना होगा।

खाद्य सुरक्षा से सुरक्षित और पोषक खाद्य पदार्थों की पर्याप्त मात्रा तक पहुंच/उपयोग की क्षमता का पता चलता है; हालांकि संबंधित चुनौतियों से अमीर/गरीब देशों की शहरी/ग्रामीण आबादी समान रूप से प्रभावित हो रही है। एफएओ का अनुमान है कि 2014-16 के दौरान लगभग 19.46 करोड़ भारतीय (15.2 प्रतिशत) को कम भोजन मिला।

जलवायु परिवर्तन-संकट और खाद्य/पोषण असुरक्षा की मुख्य वजह

21वीं शताब्दी के अंत तक वैश्विक तापमान में 1.4-5.8 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है, जिससे खाद्य उत्पादन में खासी कमी देखने को मिलेगी। इसरो के मुताबिक हिमालय के ग्लेसियर पहले से कम हो रहे हैं (जो 15 साल में लगभग 3.75 किलोमीटर कम हो चुके हैं) और वे 2035 तक गायब हो सकते हैं। यह जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है, जिसमें रेगिस्तान का बढ़ना शामिल है और इससे सूखा, चक्रवात, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी सामने आ रही हैं। इनका असर अक्सर सबसे ज्यादा गरीब (अधिकांश किसान) लोगों पर पड़ता है और इस प्रकार 2030 तक भूख को खत्म करने के हमारे लक्ष्य के सामने यह बड़ी चुनौती है! इस प्रकार टिकाऊ विकास के लिए

G.S. Paper III:

Conservation,

Environmental Pollution etc.

** इस साल के विश्व खाद्य दिवस का मुख्य विषय रखा गया है, 'जलवायु बदल रही है। खाद्य और कृषि को भी बदलना चाहिए।' भूख की चुनौतियों के संबंध में लोगों को जागरूक बनाने और भूख के खिलाफ लड़ाई के लिए जरूरी कदम उठाने के वास्ते प्रोत्साहित करने के लिए 1979 से ही 16 अक्टूबर को इसका आयोजन किया जा रहा है। 2030 तक 'शून्य भूख' के स्तर को हासिल करने का वैश्विक लक्ष्य है, जिसे जलवायु परिवर्तनखाद्य सुरक्षा का हल निकाले बिना हासिल नहीं किया जा सकता।

जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित कार्ययोजना काफी अहम है। यह विडंबना है कि कृषि को जलवायु परिवर्तन में बड़ा अंशदाता माना जाता है। 2 अक्टूबर, 2016 को भारत ने पेरिस समझौते पर मुहर लगा दी, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से लड़ना और वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, 'दुनिया जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को लेकर चिंतित है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय ने मानव विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की जरूरत के बीच सही संतुलन को समझा था। मानव की दौड़ में अब भौतिक विकास के प्रकृति पर विनाशकारी प्रभाव को समझा गया है।'

चूंकि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्दि जलवायु परिवर्तन की बड़ी वजह है, इसलिए पर्यावरण में सुधार के लिए उनके उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित करना जरूरी है। भारतीय कृषि के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के अहम मुद्दों में विभिन्न जलवायु स्थितियों के साथ राष्ट्र की विशालता; विभिन्न फसलें/कृषि प्रणालियां; मानसून पर अत्यधिक निर्भरता; जलवायु परिवर्तन से जल की उपलब्धता प्रभावित होना; छोटे-छोटे खेत; मुंडर की व्यवस्था में कमी; जोखिम प्रबंधन की रणनीतियों की कमी; बारिश से जुड़े ज्यादा प्रभाव (सूखा/बाढ़, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में); कीटों/बीमारियों के ज्यादा मामले; ऑक्सीकरण का मिट्टी की उर्वरता पर तेजी से प्रभाव और जैव विविधता का विलुप्त होना शामिल है। भले ही भारत अनाज के उत्पादन में आत्म-निर्भर होने में सफल रहा है, लेकिन यह परिवारों की पुरानी खाद्य असुरक्षा का हल निकालने में संभव नहीं हुआ है। उम्मीद है कि जलवायु परिवर्तन से खाद्य असुरक्षा बढ़ेगी, ऐसा विशेष रूप से भुख/कम पोषण वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा।

हमारे देश के लिए जहां अधिकांश आबादी गरीब है और लगभग आधे बच्चे कुपोषित हैं, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना खासा अहम है। जहां खाने की उपलब्धता प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से परिवार/व्यक्तिगत आय से प्रभावित होती है, वहीं खाद्य का इस्तेमाल पेयजल की उपलब्धता में कमी से बिगड़ जाता है और इसका स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। भारत पर वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी की मार पड़ने की संभावना है, जिससे 1.2 अरब लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये लोग विशेषकर बाढ़/चक्रवात/सूखा प्रभावित क्षेत्रों के हैं। जलवायु परिवर्तन 'भूख के जोखिम को कई गुना बढ़ाने' के लिहाज से अहम है, जिससे खाद्य/पोषण सुरक्षा के सभी अंग प्रभावित हो सकते हैं जिसमें खाद्य की उपलब्धता, पहुंच, इस्तेमाल और स्थायित्व शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा को हासिल करना और बरकरार रखना दुनिया भर में बड़ी चुनौतियों में से एक हैं। खाद्य सुरक्षा की योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं को प्रभावी तौर पर दूर करना, खाद्य पदार्थों का पर्याप्त भंडारण/वितरण के साथ ही उपचारात्मक उपायों की निगरानी शामिल है। अपनाए गए उपायों में विशेष रूप से शुष्क/अर्ध शुष्क क्षेत्रों में फसल पैटर्न, नवीन प्रौद्योगिकी और जल संरक्षण अहम हो गया है। इसलिए, कार्बन में कमी और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाने की दिशा में आवश्यक प्रयास होने चाहिए। इस संबंध में जागरूकता फैलाने और हर कदम पर जनता की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है।

भारत में खाद्य/पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों में <u>परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधान</u> मंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड/सॉयल हेल्थ प्रबंधन योजना, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, अन्नपूर्ण स्कीम, <u>मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, आईसीडीएस और एमडीएमएस आदि शामिल हैं</u>। हालांकि, इन सभी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और विशेषकर संवेदनशील समूहों के लिए खामियों को दूर करने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सही इस्तेमाल के साथ ही पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाकर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना भी खासा अहम है, जिससे जंगलों की रक्षा हो और हर स्तर पर खाद्य पदार्थों की बर्बादी से बचा जा सके जो खेतों से खाने की थाली तक बेहद जरूरी है। वनस्पित खाद्य पदार्थों बनाम पशु खाद्यों पर ज्यादा जोर देने के अलावा खरीद/पकाने में बर्बादी के साथ ही खाद्य पदार्थों के उचित भंडारण और उनके उचित इस्तेमाल से इससे बचा जा सकता है।

यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबिल डेवलपमेंट समिट-2015 में वैश्विक नेताओं को 'कचरे' (सब्जियों के कचरे, खराब करार दिए गए सेब/नाशपाती और खराब ग्रेड की सब्जियां) से बने व्यंजन परोसे गए। यह अनचाही/खराब खाद्य पदार्थों का अनुकरणीय इस्तेमाल है, जो वैश्विक स्तर पर खाद्य पदार्थों की बर्बादी और उसके हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिहाज से अहम है, अन्यथा यह खाना बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा और मीथेन गैस निकलेगी, जो एक ग्रीनहाउस गैस है।

'जलवायु-स्मार्ट खाद्य प्रणाली' में निवेश की जरूरत है, जो खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए जरूरी है। ज्वार-जो सूखा प्रतिरोधी फसल है, जिसके लिए कुछ बाहरी इनपुट की जरूरत होती है, इसलिए यह मृश्किल हालात में भी बढ़ सकती है। यही वजह है कि इसे 'भविष्य की फसल' कहा जाता है। यह पोषक अनाज कम समय (65 दिनों) में पैदा होता है और इसका सही से भंडारण किया जाए तो इसे दो साल और इससे ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। धान (धान के खेतों में ज्यादा पानी भरा होने के कारण ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है) की तुलना में ज्वार सीओं 2 के उत्सर्जन को कम रखकर जलवायु परिवर्तन के असर को कम रखने में मददगार होती है, जबिक गेहूं उत्पादन (गर्मी के प्रति संवेदनशील फसल) विपरीत प्रभावों के लिए जिम्मेदार है। अनुकूलन की व्यापक क्षमता के कारण ज्वार नमी, तापमान और बंजर भूमि सहित तमाम विभिन्नताओं का सामना कर सकती है। इसके अलावा ज्वार का करोड़ों लोगों विशेषकर छोटे/सीमांत किसानों और वर्षा की कमी वाले/दूरदराज के आदिवासी इलाकों के लोगों को खाद्य और आजीविका उपलब्ध कराने से आर्थिक योगदान काफी ज्यादा है।

पोषण और कार्ययोजना पर रोम घोषणा पत्र (नवंबर, 2014) में खाद्य/पोषण सुरक्षा विशेषकर खाद्य उत्पादन की मात्रा, गुणवत्ता और विभिन्नता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने; सुझाई गई नीतियों/कार्यक्रमों को लागू करने और संकट वाले क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति संस्थानों को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया।

इस प्रकार जलवायु परिवर्तन में कमी लाना एक वैश्विक मुद्दा है; आजीविक/खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित अनुकूलन की रणनीतियों को लागू करना जरूरी है। भारत को अपनी बढ़ती आबादी के लिए खाद्य/गैर खाद्य जरूरतों को पूरा करने के वास्ते अपने पर्यावरण को बचाए रखने की जरूरत है। इसमें मृदा संरक्षण पर जोर देने, प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल की जरूरत है, जिसमें बारिश के पानी से सिंचाई भी शामिल है। खाद्य/पोषण सुरक्षा के लिए लोगों में फसल उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना सबसे अहम समाधान है।

A cool opportunity to be climate-friendly

G.S.Paper III: Environmental Consystion

** The Kigali Amendment is a testament to the spirit of Paris; that countries can collectively work towards addressing global challenges like climate change without jeopardising their economic and developmental goals.

** COOLING PERIOD: "The deal allows India's heating, ventilation and air conditioning sector to grow while giving time to refrigerant manufacturers to shift to alternatives

The Economic Times

The agreement adopted at Kigali, Rwanda, to limit and reduce the use of heat-trapping refrigerant gases, hydrofluorocarbons (HFCs), is a big win for the global effort to address climate change.

For its part, India showed flexibility to help secure an ambitious agreement while protecting its development space. Now, make this a grand commercial opportunity. Having secured its developmental space, India cannot rest. The Kigali amendment is asignal to industry and entrepreneurs in India and across the world to develop viable and scalable climate solutions. India needs to invest and encourage in research and development of alternatives. The government recently put in place a multi-stakeholder platform comprising research institutions and laboratories, and industry.It now needs to encourage institutions and industry to participate through time-bound programmes to develop alternative refrigerant gases that will not harm the planet (Godrej uses propane in some of its appliances, which is a decent substitute in some contexts but not all). Domestically, it needs to push industry segments that are able to make the transition to climate-friendly refrigerant gases soon and not wait till 2028 to begin the process. Alater date to begin transition to climate friendly refrigerants must not become an occasion to do nothing. Instead, it must be space that propels industry to emerge as leaders in climate-friendly technologies. This is an opportunity to utilise the startup ecosystem to meet a genuine engineering challenge, rather than find yet another variant of e-commerce.

Changing the course of the planet

The Hindu At Kigali, India has once again demonstrated willingness to be part

of a multilateral climate deal while being able to secure a differentiated outcome for itself After seven years of negotiations, on October 15, 197 countries reached a historic agreement in Kigali, Rwanda, to amend the Montreal Protocol and phase down hydrofluorocarbons. HFCs are refrigerant gases used for commercial, residential and automotive purposes (and in other applications) but are hundreds to thousands of times more potent that carbon dioxide. They were meant to replace HCFCs in order to protect the ozone layer but their global warming potential (GWP) has increasingly become a matter of concern in climate negotiations. The Kigali Amendment is one that could avoid global warming by up to 0.5° C. What did India gain? What should India do?

The Kigali Amendment is not as ambitious or as flexible as desired. Earlier proposals from North America, Europe and Small Island States had demanded a 2021 freeze date for HFCs for all countries. India wanted a 2031 freeze date. Eventually, developed countries agreed to an earlier baseline (2011-13) and freeze year (2019). For most developing countries (including China), the baseline was set at 2020-22 with 2024 as the year to cap HFC use. But India and a few other developing countries got a later baseline (2024-26) with HFCs freezing only in 2028. By not satisfying all the demands of all the countries, the Kigali Amendment signals a good compromise. But before any blame is attributed (or credit claimed), it is important to understand why India demanded differentiated treatment.

Why latitude for India

India and China are the only developing countries that manufacture HFCs. But China's output is much bigger given its significantly larger share of the global air conditioner market. Even in 2050, India's HFC emissions under business as usual would have been 7 per cent of the world total against China's 31 per cent. Moreover, according to analysis by the Council on Energy, Environment and Water (CEEW), India's A/C market and HFC consumption picks up only after 2025. So, differentiation with China, which will witness rapid emissions during 2015-2030 (and has to act sooner), was warranted. The deal accounts for differences in current consumption, future growth and overall income levels.

Action prior to 2028 would have imposed additional costs of currently much more expensive alternative refrigerants. In the residential sector, the only viable alternative is propane (R290). The other alternative is R32, although it too has a relatively high GWP of 675. Hydrofluoroolefin (HFO) blends remain expensive. HFO1234yf (an alternative for mobile air conditioning) is anywhere between four and 10 times more expensive than the current gas in use. HFO1234ze, which can be used in some commercial applications, is cheaper but for other types of commercial A/Cs there are no viable alternatives.

The cost burden is not merely of alternative refrigerants but includes the one-time cost of product redesign, servicing equipment, training of servicing personnel, and per unit equipment costs. In the lead-up to the Kigali meeting, a \$53-million philanthropic initiative was launched for energy efficiency measures in developing countries as a complement to shifting to HFC alternatives. While welcome, the actual costs of transition would be much higher. A CEEW-International Institute for Applied Systems Analysis study found that for India, economy-wide costs of an HFC phase-down could be €12 billion (sum of undiscounted costs, 2015 prices) under the original Indian proposal and €34 billion under the North American proposal between 2015 and 2050. India wanted extra time until more information became available.

The agreed decision requires the Montreal Protocol's Multilateral Fund to cover incremental costs related to production, consumption, servicing and patents. But it is unclear how much of the total costs will get covered until the guidance document on calculating costs is prepared.

Another concern for India was access to technology. Many alternative gases are not manufactured in India currently, although firms are moving in that direction. Ideally, if more (patent-free) alternatives emerged, and their prices fell rapidly, India should be prepared to voluntarily begin a phase-down even earlier, despite the later date it has secured in the negotiations.

The other aspect of technology is the need to test alternatives under India's high ambient temperature conditions. Testing for some chemicals has already begun but further verification was necessary before India could firmly commit. This is one reason why, in September, India announced a domestic, collaborative R&D programme to develop next-generation, sustainable refrigerants.

Gains from Kigali

Overall, India's primary gain is that it has once again demonstrated willingness to be part of a multilateral climate deal while being able to secure a differentiated outcome for itself. The deal allows India's heating, ventilation and air conditioning (HVAC) sector to grow while giving time to refrigerant manufacturers to shift to alternatives. Second, a review of technological options is also envisaged so that India is not left stranded in 2028. Third, despite the three baselines, the bulk of global HFC emissions starts getting phased down earlier, delivering a massive gain for the fight against climate change. Fourth, the deal is legally binding, and failure to act could invite noncompliance proceedings, making it a more effective deal than the Paris Agreement on Climate Change.

It is important to recognise how research, analytics and consultations can help to move the needle and change the course of the planet. Until two years ago, India was unwilling to even negotiate HFC phase-down under the Montreal Protocol. Extensive research within India combined with several rounds of consultations between government, industry and civil society helped to prepare the ground for a more informed and proactive approach to the negotiations. The narrative of the global HFC negotiations also shifted, from merely ambition to include economy-wide costs, differentiation, and high growth rates. Rather than rest on negotiated laurels, Indian industry now has to recognise the shifts in global markets, invest in technology and nudge consumer behaviour towards more efficient and less damaging refrigerants. The international result is welcome; attention now shifts to domestic action.

असरदार विश्व शक्ति बनाएगी सॉफ्ट पावर!

Prepare IAS

Current Affairs

फरवरी 1999 में जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर की ऐतिहासिक बस यात्रा पर निकलना था उसके पहले वाली रात उनका कार्यालय एकदम परेशान था कि आखिर आधी रात को फिल्म अभिनेता देव आनंद से संपर्क कैसे किया जाए? शायद उसी वक्त यह पता लगा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ देव आनंद के जबरदस्त प्रशंसक हैं। इस बीच देव साहब के एक और प्रशंसक को जगाकर देव साहब से पुछवाया गया कि क्या वह वाजपेयी के साथ बस यात्रा पर जाएंगे। वह खुशी से तैयार हो गए। उनका आगमन उस यात्रा की बड़ी खबर बना। हिंदी सिनेमा के इस शोमैन ने राजनेताओं, बुर्जुआ वर्ग के लोगों, आम पाकिस्तानी मीडिया सब को प्रभावित किया। टीवी कैमरा उनके पुराने कॉलेज में ठीक उस जगह पर केंद्रित हो गए जहां शायद

उन्होंने एक लड़की का पहली बार चुंबन लिया था। वे 1940 के दशक के रूढ़िवादी दिन थे। वाजपेयी अपनी यात्रा का महत्त्व कम नहीं कर रहे थे बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहे थे।

हाल के दिनों में पाकिस्तान के साथ सभी सांस्कृतिक खेल और अकादिमिक रिश्ते खत्म करने का जो अभियान चला है वह उन दिनों की याद दिलाता है जब सॉफ्ट पावर शब्द इस्तेमाल में ही नहीं था। इस वक्त जो गुस्से भरा अभियान चल रहा है जिसमें गौतम गंभीर और सौरभ गांगुली जैसे क्रिकेटर शामिल हैं (दोनों का पाकिस्तान के खिलाफ बिंद्या प्रदर्शन रहा है)। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ सारे रिश्ते खत्म कर उसे विश्व स्तर पर एकदम अलग-थलग कर दिया जाए। बाकी दुनिया पर दबाव बनाया जाए कि वह भारत के नेतृत्व में पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो। गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के पहले और उसके बाद की कुछ घटनाओं ने भारत की मई 2014 के बाद की वैश्विक शक्ति की सीमाएं उजागर की हैं। हमारे टीवी स्टूडियो के योद्धाओं और युद्धाकांक्षी पूर्व सैन्य अधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो भारत का विश्व शक्ति होना अभी दूर की कौड़ी है।

जूनियर बुश के पहले कार्यकाल में अमेरिकी रक्षा मंत्री रहे डॉनल्ड रम्सफेल्ड से जब पूछा गया कि क्या वह सॉफ्ट पावर में यकीन करते हैं तो उन्होंने निहायत मासूमियत से कहा था कि यह क्या है? वह कड़े सैन्य कदमों के बहुत बड़े हिमायती थे। हम जानते हैं कि उन्होंने अपने पीछे कितनी गंदगी छोड़ी। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में कैसे हालात पैदा किए यह हम सबने देखा। बुश ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबक सीखा और कोंडोलीजा राइस के विदेश मंत्री रहते उन्होंने सॉफ्ट पावर और सार्वजनिक कूटनीति पर जमकर ध्यान दिया। वर्ष 2006 के पर्चे में प्रो. जूनियर उन्होंने सॉफ्ट पावर को परिभाषित करने पर अधिक ध्यान दिया। उनकी मुल दलील यह थी कि सॉफ्ट पावर अनिवार्य रूप से नरम और

G.S.Paper II: India & world, International relations

- ** सॉफ्ट पावर =सांस्कृतिक प्रभाव के जरिये अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को आकार देना
- ** हार्वर्ड के प्रोफेसर जोसेफ जूनियर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1990 में शीतयुद्ध के बाद अपनी रचना 'बाउंड टु लीड: द चेंजिंग नेचर ऑफ अमेरिकन पॉवर' में सॉफ्ट पावर अवधारणा का उल्लेख किया था।

* *

मानवीय ही हो यह आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा था कि आप सॉफ्ट पावर का प्रयोग करते हैं या सख्ती बरतते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि परिस्थितियां कैसी हैं। हो सकता है कि एक खुले मैदान में छिड़ी जंग को जीतने के लिए भारी भरकम टैंकों की आवश्यकता हो लेकिन वियतनाम के जंगलों में अलग ही तरीका अपनाना पड़ सकता है। उन्होंने अपनी बात को आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि आप किसी को बंदूक के जोर पर लूट सकते हैं, उसे किसी जल्द अमीर बनाने वाली योजना का हिस्सा बनाकर ठग सकते हैं या उसे एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित कर उसकी संपत्ति अपने नाम करा सकते हैं। इसमें शुरुआती दोनों तरीके हार्ड पावर के हैं जबिक तीसरा सॉफ्ट पावर का। इसे भारत के वैश्विक हितों पर लागू करें या भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर लागू करें तो? क्या सॉफ्ट पावर का संबंध केवल खाने, संस्कृति, साहित्य और खेलों से है? अगर ऐसा होता तो कोका कोला और मैकडॉनल्ड्स, माइकल जैक्सन और मडोना ने बहुत पहले सोवियत संघ को जीत लिया होता। या फिर चीन अपने खाने के जिरये हमारे दिलोदिमाग पर राज कर रहा होता। या फिर उसके खानपान का देसीकरण करने के लिए कबका हमसे जंग छेड़ चुका होता? सॉफ्ट पावर का संबंध राष्ट्रीय मूल्यों, नीतियों, लोकतंत्र की गुणवत्ता और राजनीति तथा संस्थानों की ताकत से भी है।

ऐसा नहीं है कि केवल पाकिस्तान के लोग ही हमारी फिल्में और टीवी चैनल देख रहे हैं, हमारे खेल नायकों से रौब खाते हैं या हमारी धुनें गाते-बजाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि केवल प्रमुख पाकिस्तानी यानी खिलाड़ी और अभिनेता भारत में अपनी आजीविका कमा रहे हैं और इसलिए बेहतर रिश्तों में उनके हित जुड़े हैं। यह सारी बात मायने रखती है लेकिन केवल तभी जबिक व्यापक भारतीय प्रभाव नैतिक रूप से प्रभावी हो। एक बेहतर लोकतंत्र, एक उदार समाज, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार, बोलने की आजादी, मजबूत मीडिया, अदालत, पर्यावरण कानून आदि सभी इस ब्रांड अपील में शामिल हैं। आप इसे सॉफ्ट, हार्ड या जो चाहे कहकर पुकार सकते हैं।

एक देश और समाज दूसरे को केवल आतंकियों की घुसपैठ से ही नहीं प्रभावित करता है बल्कि वह अनुकरणीय उदाहरण पेश करके भी वही काम करता है। कई उदार लोकतांत्रिक ताकतें इसका उदाहरण पेश कर चुकी हैं। करीब 25 साल पहले मालविका और तेजबीर सिंह की प्रतिष्ठि।ंत पत्रिका सेमिनार में मैंने एक लेख लिखा था, 'पाकिस्तान: अ हॉक्स एजेंडा'। इसमें बताया गया था कि कैसे पश्चिमी दुनिया, खासतौर पर अमेरिका ने अपने लोकतांत्रिक, उदार और सांस्कृतिक प्रभाव का प्रयोग शीतयुद्ध में सोवियत संघ को परास्त करने में किया (उस वक्त सॉफ्ट पावर शब्द नहीं था) और भारत को भी पाकिस्तान के संबंध में यही नीति अपनानी चाहिए। बतौर संवाददाता अपनी कई पाकिस्तान यात्राओं के दौरान मैं यह देखकर चिकत हुआ कि भारतीय संस्थानों ने उसके नेताओं को कितना प्रभावित किया है। वहां के प्रभावी लोगों ने मुझसे कई चीजें मांगी, उनमें केंद्र राज्य संबंधों पर न्यायमूर्ति सरकारिया आयोग की रिपोर्ट भी शामिल थी। यह रिपोर्ट शाह महमूद कुरैशी ने मांगी थी जो बाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने। उस वक्त वह पाकिस्तानी पंजाब सुबे के वित्त मंत्री थे। अपने पहले कार्यकाल में जब नवाज शरीफ कराची में स्वायत्त काम करने की मांग कर रही अपनी सेना के लिए नियम कायदों पर विचार कर रहे थे तो मुझसे सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम मांगा गया था। मैं अतीत में इस बारे में लिख चुका हूं। भारत में अब तक

G.S.Paper III: Agriculture & Farmer issues

27 सेना प्रमुख हुए हैं जो समय पर या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं जबिक पाकिस्तान में केवल 13 ही। यह सकारात्मक प्रभाव का विषय है।

संस्कृति, अर्थव्यवस्था, व्यापार, खेल इसके बाद राष्ट्रीय हित के विविध कारकों के रूप में सामने आते हैं। क्या राजकपूर चार दशक तक समूचे कम्युनिस्ट देशों पर ऐसा ही सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते रहे? केवल सोवियत संघ में ही नहीं बिल्क पेइचिंग तक में। ध्यान अनमन चौक पर सन 1989 में जिस सप्ताह हत्याकांड हुआ था उस वक्त होटल के कर्मचारियों ने अनिधकृत रूप से हमारी खबर फैक्स की वह भी इस शर्त पर िक हम तब तक बिना रुके आवारा हूं...गाते रहेंगे जब तक िक सारे पन्ने फैक्स नहीं हो जाते। हमारे साथ वे भी गुनगुनाते रहे। अमेरिका ने हॉलीवुड और डिजनी की यात्राओं को अंतरराष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रमों में शामिल कराया। वह एक व्यापक पारंपरिक और परमाणु हथियार जखीरा तैयार कर रहा था लेकिन राजनीतिक और दार्शनिक तौर पर वह सोवियत संघ के करीब जाने की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। खुले समाज के लिए खुलापन एक बड़ा हथियार है। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई केवल इतनी नहीं है कि भारत छह गुना बड़ा है। बिल्क पाकिस्तान उतना ही ज्यादा कटु और असुरक्षित भी है। भारत को अगर विश्व शक्ति बनना है तो उसे सख्ती के साथ-साथ चतुराई दिखानी होगी और अपना दिल बड़ा करना होगा।

दूर होता खाद्य सुरक्षा का सपना

इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि तथा किसान, दोनों उपेक्षित हैं। 60 के दशक में हरित क्रांति के बाद से देश में खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता की जो स्थिति बनी थी वह आज भी एक मिसाल के रूप में याद रखी गई है, लेकिन

वर्तमान में हमारे देश में न तो कृषि का भविष्य सुरक्षित दिख रहा है और न ही खाद्य सुरक्षा का। इसका कारण यह है कि देश में कृषि क्षेत्र में तमाम चुनौतियां गंभीर रूप से विद्यमान हैं और इसके बावजूद केंद्र सरकार का दृष्टिकोण उदासीन बना हुआ है। आज किसान अपने अंतहीन संकटों की वजह से लगातार आत्महत्या को मजबूर हैं और सरकारी उदासीनता साफ दिख रही है। देश के किसान केंद्र सरकार से जो उम्मीद लगाए बैठे थे वह उम्मीद अब तक धरातल पर नहीं आई है। सत्ता में आने के बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के हित में अब तक कोई बड़ी पहल नहीं की है, जिसे इस क्षेत्र में बड़े बदलाव का सूचक माना जाए। कृषि और किसानों के हित की योजनाओं को बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने की तो दूर की बात है, सरकार तमाम योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन भी लगातार कम कर रही है। बीते बजट में वित्तमंत्री ने करीब 15 कृषि योजनाओं के लिए राज्यों का बजट कम कर दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भारत को एक कमजोर कृषि क्षेत्र विरासत में प्राप्त हुआ। नीति-निर्माताओं ने प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) के साथ कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। लगभग प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कुछ न कुछ प्रावधान और उपाय किए गए। साठ के दशक में हिरत क्रांति के साथ कृषि क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात हुआ जिसने न केवल भारतीय कृषि को आत्मिनर्भर बनाया, बल्कि भारत को एक खाद्यान्न निर्यातक देश के रूप में भी स्थापित किया। लेकिन क्या आज हम हरित क्रांति के गर्व को महसूस कर पा रहे हैं? जिस क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार है, जिस क्षेत्र का कोई विकल्प नहीं है, उस क्षेत्र की स्थिति विकट है। यदि सही मायने में बिना राजनीतिक मानसिकता के सरकार इस दिशा में ईमानदार पहल करे तो इससे न केवल खाद्य सुरक्षा की पूर्ति होगी, बल्कि किसानों की स्थिति में सुधार होगा। साथ ही, देश, समाज और अंततः संपूर्ण आर्थिक प्रणाली में विकास और प्रगति रेखांकित होगी। <u>आज भारत सहित संपूर्ण विश्व खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहा है। भारत में यह स्थिति ज्यादा भयावह है और आने वाले दिनों में और भी भयावह होगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वर्तमान केंद्र सरकार की नीति कृषि को प्राथमिकता देने की नहीं है। भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 47 में भी कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में शामिल करे। भारतीय नागरिकों को भूख से सुरक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त है, जो कि अनुच्छेद 39 (क) तथा 47 के तहत राज्यों की जिम्मेदारी है। लिहाजा राज्यों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे खाद्य उत्पादन, परीक्षण, वितरण का अपनी नीतियों के माध्यम से उन्नयन करें, जबकि हो इसका उलटा रहा है। भाजपा शासित कई राज्यों में हमने खाद्य पदार्थों की बढ़ी महंगाई से जनता को त्रस्त होते हुए देखा है।</u>

कांग्रेस के शासनकाल में भारत में खाद्य सुरक्षा की दिशा में बहुत से कार्यक्रम और योजनाएं चलाई गई हैं। ये योजनाएं एक बच्चे को उसके जन्म से खाद्य सुरक्षा प्रदान करती हैं। जब एक महिला गर्भवती होती है तो एकीकृत बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र के जिरये उसे सहायता मिलती है। गरीब महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ योजना है। बच्चे के जन्म के बाद आइसीडीएस योजना उसकी पोषण जरूरतों को पूरा करती है। वह जब स्कूल जाता है तब उसे मिडडे मील के तहत भोजन उपलब्ध है। बच्चे के वयस्क होने पर उसे मनरेगा या अन्य रोजगार योजनाओं के माध्यम से आय प्राप्ति का विकल्प है। सार्वजित वितरण प्रणाली के माध्यम से उसे सस्ते मूल्य पर अनाजों की उपलब्धता है। अत्यंत गरीबों के लिए अंत्योदय योजना के माध्यम से बहुत सस्ते मूल्य पर अनाज प्राप्त होता है। वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन तथा अन्नपूर्ण योजना है। इन सारी योजनाओं की शुरुआत कांग्रेस के काल में हुई है। इस प्रकार देखें तो इन सभी सरकारी योजनाओं में खाद्य सुरक्षा के लिए तमाम प्रयास और योजनाएं हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून भी संप्रग सरकार की देन है। 22 दिसंबर 2011 को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजिनक वितरण मंत्री केवी. थॉमस ने इससे संबंधित बिल लोकसभा में पेश किया था। लंबे गितरोध के बाद अंतत: पांच जुलाई 2013 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के जिरये इसे लागू किया गया। बाद में इसे लोकसभा ने 26 अगस्त 2013 को तथा राज्यसभा ने दो सितंबर 2013 को पारित कर दिया। यह कानून देश की 75 प्रतिशत ग्रामीण तथा 50 प्रतिशत शहरी, कुल मिलाकर 67 प्रतिशत आबादी यानी करीब 82 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार देता है।

इस सबके बावजूद हमारे देश की खाद्य सुरक्षा का आधार दरक रहा है और वह कृषि क्षेत्र में सरकारी उदासीनता की वजह से है। कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाकर ही वास्तव में हम खाद्यान्न सुरक्षा की नींव तैयार कर सकते हैं। भारतीय कृषि आज कई चुनौतियों का सामना कर रही है। किसानों के सामने महंगे ऋण, सिंचाई, बीज, उर्वरक आदि की समस्या है। साथ ही समुचित अनुसंधान और विकास की समस्या से भी कृषि क्षेत्र जूझ रहा है। वर्तमान में कृषि योग्य भूमि का आकार भी उद्योग हितैषी सरकार के कारण घटता जा रहा है। इन समस्याओं के बीच यह दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार किसानों के हित में नहीं दिख रही। यह सरकार यह भूल रही है कि कृषि क्षेत्र का समग्र विकास और इस पर समुचित ध्यान देकर हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।